ब अदालत अंचल अधिकारी, मधुपुर (देवघर) पंजी--II फोरम संख्या-- 562
आदेश फलक

(अभिलेख हस्तकाय नियम-- 129)

नमांतरण बाद सं0 :-- 513/16-17

अंचल-- मधुपुर जिला-- देवघर थाना-- मधुपुर मौजा-- फतेपुर

तिथि	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं हस्ताक्षर	कार्यवाही
1	2	3
7.3.17	अभिलेख उपस्थित प्रस्तुत वाद आवेदन कार्यपालक अभियंता सिचाई प्रमण्डल जसीडीह शिविर, देवघर जिला-- देवघर द्वारा दलित आवेदन पत्रांक-- 33 दिनांक 23.01.2017 द्वारा प्राप्त किया गया। आवेदक पुनासी जलासय योजना हेतु वन भुमि अपयोजन के सापेक्ष क्षतिपुरक गैर बन भुमि का नामांरण राज्य वन विभाग झारखण्ड सरकार के पक्ष में करने का अनुरोध किया है। नामांरण हेतु आवेदित भुमि का विवरणी निम्न प्रकार है।	

मौजा का नाम	थाना नं0	खाता सं0	दाग नं0	रकवा	किस्म
फतेपुर	119	31	249	13.00एकड	परती कदीम

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जॉच प्रतिवेदन मांगे। अभिलेख दिनांक 14.3.17 को प्रप्त करें।

लेखापित।

7.3.17
अंचल अधिकारी,
मधुपुर।

7.3.17
अंचल अधिकारी,
मधुपुर।

तिथि	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं हस्ताक्षर	कार्यवाही
1	2	3
14.3.17	अभिलेख उपस्थापित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। मौजा के 16 आना रैयत को आपती संबंधी दाखिला का नोटिस कर आदेश हेतु अभिलेख दिनांक 21.3.17 को प्रस्तुत करें। लेखापित। 14.3.17 अंचल अधिकारी, मधुपुर। 14.3.17 अंचल अधिकारी, मधुपुर।	

21.3.17	अभिलेख उपस्थापिता पिता हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त सौलह आना रैयत का नोटिश का तामिल प्रतिवेदन प्राप्त। किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपति नहीं की गयी है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदित जमीन मौजा– फतेपुर थाना नं0– 119 के ज0न0– 31 दाग नं0– 249 में परती कदीम कहकर गैरमजुरूआ खाता में दर्ज है।वन प्रमण्डल पदा0 देवघर वन प्रमण्डल देवघर के पत्रांक– 1806 दिनांक 12.10.2012 में जिक्र किया गया है कि अपर उपायुक्त, देवघर के पत्रांक– 1160 दिनांक 27.09.2011 के द्वारा स्वीकृति आदेश प्राप्त है कि आलोक में जमीन पुनासी जलाशराय योजना हेतु क्षतिपुरक गैर वन भूमि मौजा– फतेपुर थाना नं0– 119 रकवा– 13.00एकड़ भूमि नामांतरण हेतु हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा अनुशंसा की गयी है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के अनुशंसा के आधार पर मौजा– फतेपुर थाना नं0– 119 ज0न0– 31 दाग नं0– 249 रकवा– 13.00एकड़ भूमि नामांतरण राज्य वन विभाग झारखण्ड सरकार के नाम से करने की ...स्वीकृत... दी जाती है। अनुशांसित लगान– .... अलावे सेस निर्धारित की जाती है। अभिलेख सहायक को निर्देश दिया जाता है कि शुद्धि पत्र को प्रतियों में हस्ताक्षरार्थ हेतु दिनांक .... को उपस्थापित करें। लेखापित। 21.3.17 अंचल अधिकारी, मधुपुर। 21.3.17 अंचल अधिकारी, मधुपुर। अभिलेख उपस्थापिता शुद्धि पत्र चार प्रतियों में हस्ताक्षरार्थ उपस्थापित।हस्तक्षरार्थ शुद्धि पत्र राज्य कर्मचारी को एक प्रति हस्तागत करें। लेखापित। 21.3.17 अंचल अधिकारी, मधुपुर। 21.3.17 अंचल अधिकारी, मधुपुर।	

नामान्तरण हेतु शुद्धि–पत्र

अंचल व अनुमंडल–मधुपुर, जिला–देवघर

नामान्तरण वाद संख्या–

क्र0 सं0	पंजी –II (दो) में दर्ज मामलों की संख्या एवं वर्ष	मौजा एवं थाना संख्या	आदेश देनेवाले पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	नामान्तरण का आधार	नामान्तरण जमीन का पूर्ण विवरण	मन्तव्य
1	2	3	4	5	6	7
		फतेहपुर 119	अंचल अधिकारी, मधुपुर।	देवघर/मधुपुर निबंधन कार्यालय केवाला सं0 11601210 दिनांक 27.9.11 एवं हल्का कर्मचारी व प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन।	पुराना खाता/थोका संख्या 31 रकवा बी0 13.0020 वर्गफीट लगान .... श्री/श्रीमती .... के नाम से दर्ज है। नया खाता संख्या 31/A रकवा बी0 13.0020 क0 .... धू0 .... / .... वर्गफीट लगान .... अलावे शेष श्री/श्रीमती .... पिता/पति .... सा0/मुहल्ला .... अंचल .... जिला .... के नाम से नामान्तरण करने की स्वीकृति दी जाती है। लगान एवं अन्य वसूली योग्य शेष बकाये की तिथि से देय होगा। यह आदेश हल्का कर्मचारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं सेलडीड के आधार पर दिया जाता है।	अपर उपायुक्त देवघर के ज्ञापांक 11601210 दिनांक 27.9.11

शुद्धि पत्र चार प्रतियों में हल्का कर्मचारी, हल्का सं0 .... को आदेश दिया जाता है कि वे लगान एवं अन्य वसूली योग शेष बकाये की तिथि से वसूली करें तथा इनका अनुपालन प्रतिवेदन कार्यालय को शीर्घ लौटायें।

21.3.17

अंचल अधिकारी,
मधुपुर।

541
18/5/17